INDIAN MEDICAL ASSOCIATION UTTARANCHAL STATE BRANCH
(Registered under the Societies Act XXI of 1860)
Affiliated to IMA Hqrs., New Delhi
47, Ballupur Road, Dehradun – 248001
Mob.no.: 8218968345, Email: imauastatebranch@gmail.com; Website: www.imauastatebranch.com

State President
Dr. Ajay Khanna
akkhanna4@hotmail.com

Imm. Past State President
Dr. Kailash Chandra Sharma
gvclinic.sharma@gmail.com

Hony. State Secretary
Dr. D. D. Choudhury
drdipakdhar@gmail.com

President Elect
Dr. D. C. Pant
drdcpant1@rediffmail.com

Vice President, Zone-I
Dr. Anjul Srimali
anjulsrimali@yahoo.com

Vice President, Zone-II
Dr. Yashpal Singh Rawat
yashpal_ksp28@rediffmail.com

Hony. Treasurer
Dr. Sanjay Upreti
drsanjayupreti@gmail.com

Hony. Jt. Secretary
Dr. Siddharth Khanna
sidkhanna08@gmail.com

Hony.Jt. Secretary
Dr. Sanjay Singh
sanjaysingh2211@gmail.com

Hony.Jt. Secretary
Dr. Sanjay Sethi
drsansethi@yahoo.co.in

Editor, IMA UA State Bulletin
Dr. Radhika Raturi
drradhikaraturi@gmail.com

Jt. Editor, IMA UA State Bulletin
Dr. Khushboo Khanna
khushbookhanna08@gmail.com

Hony. Editor, IMA UA Academic Journal
Dr. Ajay Pal Singh
ajayrameshpal@gmail.com

Hony. Jt. Editor, IMA UA Academic Journal
Dr. Garima Singh
vidushigarima@gmail.com

Director, IMA CGP
Dr. R. K. Vij
hot_doc_30@yahoo.co.in

Hony. Secretary, IMA CGP
Dr. Hemant Gupta
Drhemantgupta29@gmail.com

Hony. Jt. Secretary, IMA CGP
Dr. Saurabh Varshney
drsaurabh68@gmail.com

Chairman, IMA AMS
Dr. Satanshu Mathur
drsatanshumathur@gmail.com

Vice Chairman, IMA AMS
Dr. Umesh Kumar Sundas
drumeshseema@gmail.com

Secretary, IMA AMS
Dr. Pradeep Kumar Pandey
pradeep09412093760@gmail.com

No. IMA /UA /2025-26/5170/63/100 Date: 11.06.2026

To,

All local branch Presidents/ Hony. Secretaries,
All Office Bearers & All SWC Members,
IMA UA State Branch

Ref. no.: 1. DGMH-19प/1/2026-DGH-13860, dated: 08.06.2026
Ref. no.: 2. DGMH-19प/2/2026-DGH-13900, dated: 08.06.2026

Sub:1. **Regarding the strict compliance with Fire Safety and Emergency Safety Standards as well as Intensive Inspections across all private and government hospitals in the state**
2. **To clearly mentioned the identity of the treating doctor on the prescription as per NMC guidelines.**

Dear Colleague,

I have received a letter from Director General of Health Services, Uttarakhand bearing no. DGMH-19प/1/2026-DGH-13860, dated: 08.06.2026, regarding the strict compliance with Fire Safety and Emergency Safety Standards implemented after the recent fire incident at **Panacea Hospital, Dehradun**. You are requested to act accordingly in your clinical establishments and kindly circulate the same to all the members of your local branch to strictly adhere to the guidelines issued by the DGHS, Uttarakhand.

Further, I have received another letter from DGHS bearing no. DGMH-19प/2/2026-DGH-13900, dated: 08.06.2026, where it was mentioned that the identity of treating doctor/ diagnostic center's doctor should be clearly mentioned on the prescription/ reports viz. name, educational qualification, UKMC registration number and the use of proper stamp. You are requested to kindly inform the same to members of your branch to strictly follow the guidelines.

Both the letters received from DGHS, Uttarakhand are enclosed herewith for your kind perusal.

Thanking you,

With warm regards,

Your's sincerely,

Enclo: as stated above.

(Dr. D. D. Choudhury)
Hony. State Secretary,
IMA UA State Branch

No. IMA /UA /2025-26/5170/63/04 Date: 11.06.2026

Cc:

1. Director General of Medical Health & FW, Uttarakhand; dghealth.uttarakhand@gmail.com
2. National President, IMA; np@ima-india.org; draniljnayak@yahoo.co.in
3. Hony. Secretary General, IMA; hsg@ima-india.org

Dr. D. D. Choudhury
Hony. State Secretary

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0– गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
ई–मेल– dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष– 0135–2608763, फैक्स– 0135–2608746

पत्रांकः DGMH-19प/2/2026-DGH- 13900 दिनांक, 08 जून, 2026

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

विषयः देहरादून के एक निजी अस्पताल में हुए अग्निकांड के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त निजी एवं सरकारी चिकित्सालयों में अग्निशमन एवं आपातकालीन सुरक्षा मानकों के कड़े अनुपालन तथा सघन निरीक्षण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपका ध्यान हाल ही में देहरादून के “Panacea Super Specialty Hospital” में घटित अत्यंत दुःखद एवं गंभीर दुर्घटना की ओर आकर्षित किया जा रहा है। उक्त चिकित्सालय के ICU वार्ड में एयर कंडीशनर (AC) ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप एक 60 वर्षीय महिला मरीज की असामयिक मृत्यु हो गई तथा 14 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे।

चिकित्सालयों में इस प्रकार की तकनीकी व प्रबंधकीय लापरवाही मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, जिसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः भविष्य में ऐसी किसी भी अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद के अंतर्गत आने वाले समस्त निजी व राजकीय चिकित्सालयों में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाएं:–

1. अनिवार्य एवं सघन निरीक्षण (Strict Inspection)
   - i. अपने जनपद के समस्त निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों, विशेषकर संवेदनशील वार्डों जैसे आई.सी.यू. (ICU), एन.आई.सी.यू. (NICU), ओ.टी. (Operation Theatre) तथा इमरजेंसी वार्ड का अग्निशमन विभाग के सहयोग से तत्काल संयुक्त निरीक्षण करें।
   - ii. यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक चिकित्सालय के पास वैध फायर एन.ओ.सी. (Fire NOC) हो। बिना वैध एन.ओ.सी. के संचालित चिकित्सालयों पर तत्काल विधिक कार्रवाई की जाए।
2. विद्युत एवं एयर कंडीशनिंग ऑडिट (Electrical & AC Audit)
   - i. गर्मियों के मौसम में ओवरलोडिंग के कारण होने वाले शॉर्ट–सर्किट या ब्लास्ट को रोकने के लिए सभी चिकित्सालयों को अपने विद्युत लोड और एयर कंडीशनिंग (AC) यूनिट्स का थर्ड–पार्टी टेक्निकल ऑडिट कराने के निर्देश जारी करें।
   - ii. चिकित्सालयों के अन्तर्गत विशेषकर आई.सी.यू. जैसे जीवन–रक्षक वार्डों में लगे उपकरणों और ए.सी. की नियमित सर्विसिंग रिपोर्ट की जांच की जाए।
3. आपातकालीन निकास एवं सुरक्षा उपकरण (Emergency Exits & Equipment)
   - i. यह सुनिश्चित करें कि सभी चिकित्सालयों में आपातकालीन निकास द्वार (Emergency Exits) पूरी तरह से अवरोध–मुक्त (Clear) हों और उन पर स्पष्ट संकेतक लगे हों।
   - ii. अस्पताल परिसर में स्थापित फायर एक्स्टिंग्विशर (Fire Extinguishers), स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर अलार्म पूरी तरह कार्यशील (Functional) स्थिति में होने चाहिए।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता पाए जाने पर संबंधित क्षेत्र के नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

भवदीया,

Digitally signed by
SUNITA TAMTA
Date: 08-06-2026
13:07:58

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
5. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), 47 बल्लूपुर रोड़, देहरादून।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0— गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई–मेल– dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष– 0135–2608763, फैक्स– 0135–2608746

पत्रांकः DGMH-19प/1/2026-DGH- 13860 दिनांक, 08 जून, 2026

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

विषयः प्रदेश के समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों/क्लीनिकों में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा चिकित्सकीय परामर्श पत्र (Prescription) पर नाम, शैक्षिक योग्यता एवं मेडिकल काउंसिल पंजीकरण संख्या युक्त मुहर (Stamp) का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सा क्षेत्र में उच्चतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने, मरीजों के अधिकारों की रक्षा करने तथा विधिक जटिलताओं से बचने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) तथा क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सुसंगत प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन आवश्यक है।

अधोहस्ताक्षरी संज्ञान में आया है कि कतिपय चिकित्सालयों एवं निजी क्लीनिकों में चिकित्सकों द्वारा बाह्य रोगी विभाग (OPD) परामर्श पत्रों, डिस्चार्ज समरी, रेफरल लेटर्स अथवा अन्य चिकित्सीय प्रमाण–पत्रों पर अपनी स्पष्ट पहचान अंकित नहीं की जाती है। इस शिथिलता के कारण योग्य चिकित्सकों तथा अनधिकृत/अपंजीकृत व्यक्तियों के मध्य विभेद करना कठिन हो जाता है, जो कि जन–स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था के लिए अत्यंत गंभीर विषय है।

अतः जनहित में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुदृढ़ करने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के क्षेत्रांतर्गत संचालित समस्त राजकीय चिकित्सालयों, निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, चैरिटेबल अस्पतालों तथा क्लीनिकों में निम्नलिखित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से लागू करवाना सुनिश्चित करें:–

1. प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा किसी भी परामर्श पत्र (Prescription Pad) अथवा चिकित्सीय प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर के साथ एक विशिष्ट मुहर का उपयोग किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तीन विवरण स्पष्ट और पठनीय रूप में अंकित होने अनिवार्य हैं:–
   - चिकित्सक का पूरा नाम (जैसे– **Dr. ABC**)
   - धारित वैध शैक्षिक योग्यता/डिग्री (जैसे– **M.B.B.S., M.D. Pediatrics**)
   - उत्तराखण्ड/भारतीय चिकित्सा परिषद की पंजीकरण संख्या (जैसे–**Reg.No.UK- XXXX**)
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने–अपने जनपद में औचक एवं नियमित निरीक्षण टीमों का गठन करेंगे, जो चिकित्सालयों में जाकर यह सत्यापित करेंगी कि ओपीडी पर्चों पर उक्त मानक मुहर का उपयोग हो रहा है अथवा नहीं।
3. यदि कोई भी चिकित्सक अथवा चिकित्सालय इस व्यवस्था का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, अथवा बिना वैध मुहर/पंजीकरण संख्या के परामर्श जारी करता है, तो उसे क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट तथा चिकित्सा परिषद के सुसंगत नियमों के अधीन गंभीर कदाचार मानते हुए चिकित्सालय के पंजीकरण निलंबन/दंडात्मक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन आगामी एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा विचलन की स्थिति में संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीया,

Digitally signed by
SUNITA TAMTA
Date: 08-06-2026
10:37:00

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
4. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), 47 बल्लूपुर रोड़, देहरादून।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक